



सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर

अधिसूचना

एतद्वारा जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर, के पत्र संख्या-1165/अ0सं0क0/भा0स0छा0वृ0/2020-21 दिनांक-06 नवम्बर, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर से सम्बद्ध समस्त राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के प्रबन्धक/प्राचार्य/प्राचार्या को सूचित किया जाता है कि उक्त संलग्न पत्र का अवलोकन करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-

1. जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर के पत्र संख्या-1165/अ0सं0क0/भा0स0छा0वृ0/2020-21 दिनांक-06 नवम्बर, 2020 की छायाप्रति।

भबदीय

कुलसचिव,

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक 359 /सूचना/2020

दिनांक- 7 / 11 / 2020

प्रतिलिपि, निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर।
2. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या सम्बद्ध सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।
3. निजी सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
4. प्रभारी कोडिंग सेल को इस निर्देश के साथ कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय के वेबसाइट तथा कालेज लॉगिन पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
5. सम्पादक महोदय- अमर उजाला, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्तान को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने सम्मानित समाचार पत्र के अंक में छात्रहित में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
6. गार्ड फाइल में संरक्षित हेतु।

कुलसचिव,

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

कार्यालय जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।

पत्रांक: 1165/अ0सं0क0/भा0स0छा0वृ0/2020-21

दिनांक : 06 नवम्बर, 2020

1. कुलसचिव, सिद्धार्थ विश्व विद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
3. जिला विद्यालय निरीक्षक, सिद्धार्थनगर।
4. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सिद्धार्थनगर।

विषय: प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक, मेरिट-कम-मीन्स आधारित छात्रवृत्ति योजनाओं में राष्ट्रीय स्कालरशिप पोर्टल (NSP) पर संस्थाओं का KYC कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया जिलाधिकारी महोदय, सिद्धार्थनगर के कार्यालय पत्रांक 0934 दिनांक 08 सितम्बर, 2020 एवं पत्रांक 1041 दिनांक 05 अक्टूबर, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारत सरकार द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं, प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक एवं मेरिट-कम-मीन्स के अन्तर्गत National Scholarships Portal (NSP) पर दर्ज शिक्षण संस्थाओं/मदरसों के KYC कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था तथा दिनांक 17.10.2020 को मुख्य विकास अधिकारी, सिद्धार्थनगर के कक्ष में आयोजित बैठक में भी उक्त KYC पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु उक्त KYC की प्रगति अत्यन्त ही धीमी है, जिससे शासन स्तर पर काफी अप्रसन्नता व्यक्त किया जा रहा है।

उक्त के अतिरिक्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर द्वारा अपने पत्रांक 1068/अ0सं0क0/भा0स0छा0वृ0/2020-21 दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 एवं पत्रांक 1095 दिनांक 21 अक्टूबर, 2020 द्वारा भी उक्त KYC कराये जाने हेतु अनुरोध किया जा चुका है, परन्तु जनपद में अभी तक 3513 रजिस्टर्ड संस्थाओं के सापेक्ष मात्र 479 शिक्षण संस्थाओं द्वारा KYC कराया गया है, जबकि 3034 शिक्षण संस्थाओं द्वारा KYC कराया जाना अवशेष है।

अतः आप समस्त को पुनः निर्देशित किया जाता है कि National Scholarships Portal (NSP) पर दर्ज शिक्षण/संस्थाओं का KYC प्राथमिकता के आधार पर दिनांक 10 नवम्बर, 2020 तक अनिवार्य रूप से कराना सुनिश्चित करें।

उक्त KYC कराये जाने हेतु निम्न कार्यवाही अपेक्षित है :-

1. समस्त शिक्षण संस्थान/मदरसे, U-DISE/AISHE Code, प्रधानाचार्य/नोडल अधिकारी का नाम व मोबाइल नं0 कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर, कक्ष संख्या-9, भूतल, विकास भवन, सिद्धार्थनगर अथवा मो0नं0-9984601223, 7398493093 अथवा 9519601812 पर उपलब्ध करायेंगे।
2. संस्था/मदरसा द्वारा उपलब्ध कराये गये मोबाइल नम्बर पर संस्था का आई0डी0 पासवर्ड भेजा जायेगा।
3. आई0डी0 पासवर्ड प्राप्त होने के पश्चात वेबसाइट <https://scholarships.gov.in> पर जाकर Institute Login पर क्लिक कर अपनी आई0डी0 से लॉगिन करेंगे।
4. लॉगिन करने के उपरांत KYC form खुल के आएगा जिसको सावधानीपूर्वक त्रुटिरहित ऑनलाइन भरा जायगा। KYC form भरते समय संस्था के स्कॉलरशिप नोडल अधिकारी का पहचान पत्र (आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, वोटर आईडी कार्ड आदि) ऑनलाइन अपलोड किया जायेगा।
5. ऑनलाइन KYC फॉर्म पूरा भरकर उसकी प्रिंट निकाल कर प्रथम पेज पर निर्धारित स्थान पर नोडल अधिकारी का फोटो चस्पा करेंगे तथा दूसरे पेज पर हस्ताक्षर मुहर करते हुए KYC फॉर्म के साथ अपलोड की गई पहचान पत्र की प्रति संलग्न कर जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/कुलसचिव, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी से अग्रसारित कराते हुये कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर को उपलब्ध करायेंगे।

6. KYC का सत्यापन होने पर नोडल अधिकारी के नम्बर पर Message जायेगा। अब संस्था अपनी आईडी0 पर लॉगिन कर अपनी Profile Update कर लेंगे, जिसमें *वाले कॉलम भरना एवं मान्यता की प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा।
7. Profile Update करने के उपरान्त छात्र-छात्राओं को उक्त छात्रवृत्ति आवेदन हेतु प्रेरित करते हुये आवेदन कराना सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय,

6/11/2020
(दीपक मीणा)
जिलाधिकारी,
सिद्धार्थनगर।

पृष्ठांकन संख्या : उपरोक्तानुसार तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0620-इन्दिरा भवन, लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
3. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, सिद्धार्थनगर को इस निर्देश के साथ कि उक्त KYC हेतु अपने-अपने बी0आर0सी0 पर कैम्प लगाकर शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करते हुये प्रतिदिन सायं 05:00 बजे तक प्रगति रिपोर्ट जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
4. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर को इस निर्देश के साथ कि अवशेष मदरसों का शत-प्रतिशत KYC कराते हुये सम्पूर्ण KYC के प्रगति की सूचना प्रतिदिन सायं तक अधोहस्ताक्षरी के व्हाट्सएप पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

जिलाधिकारी,
सिद्धार्थनगर।